

विभिन्न भत्ते, मकान  
किराया / कोयला / धुलाई / वर्दी / संतान /  
शिक्षा / परिवार कल्याण / अन्य भत्ते / पर्वतीय विकास  
भत्ता  
विषय सूची

क० सं०	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण	सं० 272 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 05 नवम्बर, 2009	17-18
2.	हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड(एच०ए०जी०)रू० 67000 (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-रू० 79000 एवं एपेक्स स्केल रू० 80,000 के नियत वेतन के पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण	सं० 494 / xxvii(7)म०कि० / 2010, दिनांक 18 जून, 2010	19-20
3.	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों की धुलाई भत्तों की दरों में पुनरीक्षण	सं० 628 / xxvii(7) / घु०भ० / 2010, दिनांक 27 जुलाई, 2010	21-22
4.	स्नातकोत्तर भत्ते में संशोधन किये जाने के संबंध में	सं० 583 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 10 सितम्बर, 2010	23-24
5.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या: 40 / xxvii(7)स्वै०प०क० / 2009 दिनांक: 13 फरवरी, 2009 में संशोधन	सं० 736 / xxvii(7) / स्वै० प०क० / 2010, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010	25-26
6.	सरकारी कर्मचारियों को लकड़ी का कोयला/पत्थर का कोयला (सॉफ्टकोक) की अनुमन्यता को समाप्त किया जाना।	संख्या-515 / xxvii(7) / 2010 दिनांक: 8 अप्रैल, 2010	27-28
7.	उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों के परिचारकों को अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों का पुनरीक्षण	सं० 08 / xxvii(7)10(xiv) / 2011, दिनांक 31 मई, 2011	29-30

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक: 5 नवम्बर, 2009

विषय:- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण।

महोदय,


वेतन समिति(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या: 40/xxvii(7)स्वै0परि0क0/2009दि0 13 फरवरी,2009 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में पूर्व में अनुमन्य धनराशि की दरें संशोधित की गई है।

इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से शासन स्तर पर यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता का दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षण होगा या शासनादेश जारी होने की तिथि से और पुनरीक्षित दर पर दिनांक 1-1-2006 से अवशेष देय होगा या नहीं।

अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भत्ते का दिनांक 1-1-2006 से ही पुनरीक्षण होगा। इसके अतिरिक्त दि0 1-9-2008 के उपरान्त अनुमन्यता के प्रकरणों में भत्ते की स्वीकृत धनराशि ग्रेड वेतन के परिवर्तन पर भी परिवर्तित नहीं होगी।

2. उपरिलिखित शासनादेश दि0 13 फरवरी,2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


भवदीय,

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या : 272-(1)/XXVII(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से  


(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव।

प्रेषक,  
राधा रतूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,  
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक: 18 जून, 2010

विषय:- हायर एडमिनिस्ट्रटिव ग्रेड (एच.ए.जी.) रू0 67000( 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000 एवं एपेक्स स्केल रू0 80,000 के नियत वेतन के पद के मकान किराया भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:38/XXVII(7)म0का0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं इसके विषय में निर्गत संशोधन विषयक शासनादेश संख्या: 61/XXVII(7)म0का0/2009 दिनांक 16 फरवरी, 2009 द्वारा 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैंड के समतुल्य ग्रेड पे के आधार पर "बी-2", "सी" एवं "अवर्गीकृत क्षेत्रों" के आधार पर मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है तथा तत्पश्चात वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:294/XXVII(7)/2009 दिनांक 25 सितम्बर, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित या इस राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा राज्य सरकार के रू0 37400-67000 के पे बैंड-4 में ग्रेड पे रू012000 में कार्यरत पदों के वेतन बैंड को रू0 67000( 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000 में बिना किसी ग्रेड पे के संशोधित किये जाने तथा रू0 80,000 के नियत वेतन के पद के लिये कोई ग्रेड पे न होने के कारण मकान किराया भत्ते के निर्धारण विषयक उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं दिनांक 16 फरवरी, 2009 के द्वारा मकान किराया भत्ते का निर्धारण नहीं हो पाया है।

2- अतः उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हायर एडमिनिस्ट्रटिव ग्रेड (एच.ए.जी.) रू0 67000( 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000 एवं एपेक्स स्केल रू0 80000 के नियत वेतन में कार्यरत प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिये मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता निम्नवत रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	वेतन/नियत वेतन	बी-2 श्रेणी (रू0)	सी श्रेणी (रू0)	अवर्गीकृत श्रेणी (रू0)
1	रू0 67000( 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000	10000	6600	5300
2	रू0 80000 नियत वेतन	12000	8000	6400

3- उक्तानुसार वेतनमान/नियत वेतन के पूर्णकालिक पदों के मकान किराये भत्ते की प्रभावी तिथि तथा अन्य शर्तें उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं 16 फरवरी,2009 के अनुसार ही यथावत रहेगी।

भवदीय,  
(राधा स्टूडी)

संख्या : 494 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से  
(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव ।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

वित्त(बे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक: 27 जुलाई, 2010

विषय:-उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों की धुलाई भत्तों की दरों में पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 245/XXVII/व.भ./2005 दिनांक 7 जून, 2005 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 के द्वारा भत्तों के विषय में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय धुलाई भत्ता रू0 20.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 30.00 प्रतिमाह तथा राजकीय वाहन चालकों को देय धुलाई भत्ता रू0 30.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 45.00 प्रतिमाह तात्कालिक प्रभाव से पूर्व शर्तों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त भत्ते की दर के उक्तवत पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासनादेश संख्या:245/XXVII/व.भ./2005 दिनांक 7 जून, 2005 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,


(राधा रतूड़ी)  
सचिव वित्त

संख्या: (1)/xxvii(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
- 3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
- 4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
- 5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- 6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
- 7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
- 12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
- 13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7  
संख्या: 583/xxvii(7)/2010  
देहरादून, दिनांक: 18 सितम्बर, 2010


कार्यालय ज्ञाप

विषय:- स्नातकोत्तर भत्ते में संशोधन किये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त(सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:जी0-1-927/दस 285/88 दिनांक 5 जुलाई, 1989 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों को स्नातकोत्तर वेतन स्वीकृत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये थे।

अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन में अन्य भत्ते के संबंध में की गई सरस्तुति के क्रम में यथा अभियंत्रण विभागों, चिकित्सा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग आदि में जिन सरकारी सेवकों को इस समय यह सुविधा अनुमन्य है, वहाँ उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप 5 जुलाई, 1989 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन पूर्व से अनुमन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए रू0 100.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 200.00 प्रतिमाह रुपये दो सौ मात्र तथा स्नातकोत्तर डिग्री, पी0एच0डी0 एवं डी0एस0सी0 के लिए रू0 200.00 के स्थान पर 400.00 प्रतिमाह रुपये चार सौ मात्र तात्कालिक प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या:जी0-1-927/दस 285/88 दिनांक 5 जुलाई, 1989 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और इसकी अनुमन्य की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।


भवदीय,  
  
(राधा रतूडी)  
सचिव, वित्त



583  
संख्या: (1)/xxvii(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
- 3.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
- 4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
- 5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- 6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
- 7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
- 12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
- 13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,  


(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
सचिव,वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07

देहरादून:दिनांक 27 अक्टूबर,2010


विषय:-स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को आतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या:40/XXVII (7)स्व0 प0क0/ 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 40/XXVII(7)/स्वै0परि0 क0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में यह व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों को 1सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस धनराशि के दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय। दिनांक 31 अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई जिज्ञासाओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों को दिनांक 31 अगस्त,2008 तक पुराने वेतनमान में परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य हुआ है उनके परिवार नियोजन भत्ते की दर अनुमन्यता के समय पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर दिनांक 01 जनवरी,2006 से अनुमन्य होगा।

2- शासनादेश संख्या40/XXVII(7)/स्वै0परि0क0/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


भवदीय,  
  
(राधा रतूडी)  
सचिव,वित्त।

संख्या : 236 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव ।

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
सचिव वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/  
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(दे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक 8 अप्रैल, 2010

विषय:-- सरकारी कर्मचारियों को लकड़ी का कोयला/पत्थर का कोयला(साफटकोक) की अनुमन्यता को समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 810/वि0अनु0-3 दिनांक 20 जनवरी, 2003 के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) द्वारा पांचवे प्रतिवेदन में संस्तुति की गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोयले के उपभोग में कमी लाने हेतु भारत सरकार द्वारा रसोई गैस को दूरस्थ स्थानों पर उपलब्ध कराने की नीति बनाई गई है इसी के साथ सम्प्रति विधुत संयंत्र से कार्यालय गर्म करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. फलस्वरूप विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को लकड़ी/पत्थर का कोयला (साफटकोक) नहीं दिया जाना चाहिए।

2- अतः शासन द्वारा वेतन समिति की उक्त संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में सरकारी कर्मचारियों को पूर्व से अनुमन्य लकड़ी का कोयला/पत्थर का कोयला(साफटकोक) की अनुमन्यता को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(राधा रतूडी)  
सचिव, वित्त।

संख्या 515 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव/सचिव,  
विधान सभा सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय,  
न्याय विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्व विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-०७

देहरादून:दिनांक: 31 मई, 2011

विषय:-उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों के परिचारकों को अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

सचिवालय प्रशासन(अधिष्ठान) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:609/xxx(3)/2010-11/2009 दिनांक 19 जुलाई, 2010 जिसके द्वारा सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ता पुनरीक्षित किया गया था के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों में कार्यरत परिचारक संवर्ग को वर्तमान में जो सचिवालय विशेष भत्ता अनुमन्य है, उसे बढ़ाकर न्यूनतम 650.00 उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु ग्रेड पे के 20 प्रतिशत की सीमा को प्रकरण विशेष के लिये शिथिल करते हुए पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पुनरीक्षण दर से सचिवालय विशेष भत्ता तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जायेगा।

3- उक्त सचिवालय विशेष भत्ता इस शर्त के अधीन पुनरीक्षित किया जाता है कि यदि उत्तराखण्ड सचिवालय में उक्त भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तब इस हेतु शासनादेश निर्गत होने की तिथि से भत्ते की दरों में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।